न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 :- 57/2017 ~~नया नम्बर~~ 38/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
तहसीलदार जालोर जरिये भूमिधारी राजस्थान सरकार		1. पेलाराम पुत्र नथाराम 2. भारताराम पुत्र नथाराम 3. राजाराम पुत्र नथाराम 4. हांसाराम पुत्र नथाराम 5. जोगाराम पुत्र वगताराम कौम चौधरी साकिन नरसाणा तहसील व जिला जालोर

दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रेकर्ड दूरस्ती

उपस्थिति :-

1. राज पेरोकार प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :- 17/7/19

प्रार्थी तहसीलदार जालोर जरिये भूमिधारी राजस्थान सरकार ने दिनांक 24.05.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के जरिये पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षेप विवरण निम्नानुसार है कि मौजा बालवाडा तहसील जालोर की द्वितीय बंदोबस्त से पूर्व की जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 में खाता संख्या 200 पर आराजी खसरा नं0 197, 198 कुल क्षैत्रफल 56 बीघा 4 बिस्वा पेलाजा वल्द नथा 1/6, भारता वल्द नथा 1/6, राजीया वल्द नथा 1/6, हांसीया वल्द नथा 1/6, जोगिया वल्द वगता 1/6, पेलाजा वल्द वगता 1/6 कौम चौधरी साकिन नरसाणा खातेदारी में दर्ज है। वर्णित सहखातेदारी में पेलाजा वल्द वगता 1/6 का नाम व हिस्सा खाते में दर्ज होने से छूट गया जो त्रुटिपूर्ण है।

द्वितीय सेटलमेंट कार्यवाही के बाद तैयार की गई मिशल बंदोबस्त संवत 2067 से 2086 में वर्णित मिलान क्षैत्रफल अनुसार वर्णित आराजी गत खसरा नं0 197 व 198 के हाल खसरा नं0 508 से 520, 522 से 528 कायम किये हुए है। उक्त द्वितीय मिशल बंदोबस्त के खाता संख्या 20 पर आराजी खसरा नं0 508 से 520 व 522 से 528 कुल क्षैत्रफल 9.10 हे0 खातेदार पेलाजा वल्द नथा 1/6, भारता वल्द नथा 1/6, राजीया वल्द नथा 1/6, हांसीया वल्द नथा 1/6, जोगिया वल्द वगता 1/6 कौम चौधरी साकिन नरसाणा का नाम दर्ज है। वर्णित त्रुटि मिशल बंदोबस्त संवत 2067 से 2076 में भी बरकरार है।

वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 250 में भी बरकरार है। अर्थात उक्त जमाबंदी में भी सहखातेदार पेलाज वल्द वगता 1/6 हिस्सा छुटा हुआ है। वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 250 संवत् 2073 से 2076 के कॉलम संख्या 4 में दर्ज सह खातेदारान पेलाजाराम वल्द नथाराम 1/6, भारताराम वल्द नथाराम 1/6, राजाराम वल्द नथाराम 1/6, हांसाराम वल्द नथाराम 1/6, जोगाराम वल्द वगताराम 1/6 कौम चौधरी साकिन नरसाणा के साथ पूर्व में छुटा हुआ भाग पेलाजा वल्द वगता 1/6 कौम चौधरी साकिन नरसाणा दर्ज किया जाना प्रस्तावित कर निवेदन किया है।

17/7/19

Scanned by CamScanner

प्रार्थी तहसीलदार जालोर हाजिर/अप्रार्थीगण के वास्ते कोई हाजिर नही हुआ। हमने प्रकरण के तथ्यों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 में खाता संख्या 201 पर आराजी पेलाजा वल्द नथा 1/6, भारता वल्द नथा 1/6, राजीया वल्द नथा 1/6, हांसीया वल्द नथा 1/6, जोगिया वल्द वगता 1/6, पेलाजा वल्द वगता 1/6 कौम चौधरी साकिन नरसाणा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा मिसल बंदोबस्त संवत् 2067-2076 में इस माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2073-2076 में पेलाजा वल्द वगता 1/6 अंकन छुटा हुआ है। जो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073-2076 के सह खातेदारान के हिस्सों के साथ पूर्व में छुटा हुआ नाम पेलाजा वल्द वगता 1/6 हिस्सा दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे तद्नुसार दुरस्ती किया जाना प्रथम दृष्टया ही उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार जालोर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं सरहद मौजा बालवाडा की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 250 के कॉलम संख्या 4 में दर्ज सह खातेदारान पेलाजाराम वल्द नथाराम 1/6, भारताराम वल्द नथाराम 1/6, राजाराम वल्द नथाराम 1/6, हांसाराम वल्द नथाराम 1/6, जोगाराम वल्द वगताराम 1/6 कौम चौधरी साकिन नरसाणा के साथ पेलाजा वल्द वगता 1/6 दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में दूरस्ती की जावे शेष बदस्तुर रहेगा। तद्नुसार तहसीलदार जालोर को निर्देश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में दूरस्ती करे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 17/7/19 को सुनाया गया।

17/7/19

(चम्पालाल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
जालोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2019.11.30 16:58:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: